

प्रेषक,

करुणेश कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,  
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2020**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमाल पुत्र श्री तौलेराम, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24539/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-02-07-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमाल पुत्र श्री तौलेराम, धारा, थाना-पुवायां, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने घटना से 4-5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र के गायब हो जाने के शक में दिनांक 17.01.2004 को समय सायं लगभग 06:00 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शंकरलाल नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-474/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 02.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2019 तक 15 वर्ष 03 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 08 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध किये जाने से इनकार नहीं किये जा सकने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी का पुत्र छत्रपाल घटना से 4-5 वर्ष पूर्व गायब हो गया था, जिसका शक वादी के परिवार वालों पर था। इसी रंजिश में दिनांक 17.01.2004 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर शंकरलाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी परमाल पुत्र श्री तौलेराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी परमाल (बन्दी संख्या-41400) पुत्र श्री तौलेराम, निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करुणेश कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

**संख्या-458/2020/2299(1)/22-2-2019 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद शाहजहांपुर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**शासनादेश संख्या-458/2020/2299/22-2-2019-17(998)/2019**

**दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक**

**सरकार के आदेश**

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमाल (बन्दी संख्या-41400) पुत्र श्री तौलेराम, धारा, थाना-पुवायां, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने घटना से 4-5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र के गायब हो जाने के शक में दिनांक 17.01.2004 को समय सायं लगभग 06:00 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शंकरलाल नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-474/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 02.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2019 तक 15 वर्ष 03 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 08 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध किये जाने से इनकार नहीं किये जा सकने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी का पुत्र छत्रपाल घटना से 4-5 वर्ष पूर्व गायब हो गया था, जिसका शक वादी के परिवार वालों पर था। इसी रंजिश में दिनांक 17.01.2004 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर शंकरलाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी परमाल पुत्र श्री तौलेराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

करुणेश कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।